

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचना दी जा रही है कि नौएडा प्राधिकरण की 204वीं बोर्ड बैठक दिनांक 04.04.2022 में लिये गये निर्णय के क्रम में "नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र (योजना को तैयार करना और अंतिम रूप देना) विनियमावली-2010 (यथा संशोधित)" के प्राविधानों के अधीन तथा महायोजना में प्रस्तावित संशोधन करने के संबंध में जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित है।

प्रस्तावित संशोधन

1. उ0प्र0 डाटा सैन्टर नीति-2021 को नौएडा में अंगीकृत किये जाने के संबंध में।
2. भवन विनियमावली 2010 (यथा संशोधित) के प्रस्तर संख्या-24.5, 24.8 व 28.4 में संशोधन किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव से संबंधित विवरण नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.noidaauthorityonline.com पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगे। आपत्ति/सुझाव लिखित रूप में इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिनों के अंदर ई-मेल आई.डी. captpnoida@gmail.com पर दी जा सकती है। आपत्ति/सुझाव देने वाले व्यक्ति को अपना नाम, पता एवं दूरभाष सहित पूर्ण विवरण देना होगा।



मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा